PLUTUS IAS

PLUTUS IAS
UPSC/ PCS

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

प्लूटस आई.ए.एस. साप्ताहिक करंट अफेयर्स

18/11/2024 से 24/11/2024 तक

THE HINDU

pib
पत्र सूचना कार्यालय
PRESS INFORMATION BUREAU
भारत सरकार

The Indian EXPRESS

कार्यालय

दूसरी मंज़िल, अप्सरा आर्केड, करोल बाग मेट्रो स्टेशन गेट नंबर - 6, नई दिल्ली 110005

706 प्रथम तल डॉ. मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा के पास दिल्ली - 110009

मोबाइल नं. : +91 84484-40231

वेबसाइट : www.plutusias.com

ईमेल : info@plutsias.com

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

विषय सूची

1. प्रधानमंत्री मोदी की ब्राजील यात्रा : जी 20 सम्मेलन में भारत की अहम भूमिका.....1
2. राज्य वित्त आयोग.....4
3. संगठित और असंगठित श्रम का समागम : भारत में कार्यबल के औपचारिकीकरण की प्रक्रिया.....6
4. वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 : सतत कृषि के लिए मिट्टी की भूमिका.....9
5. खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025.....12
6. जल शक्ति मंत्रालय की नई पहल : 'भू-नीर' पोर्टल से भूजल संरक्षण में सुधार.....15

PLUTUS IAS

प्रधानमंत्री मोदी की ब्राजील यात्रा : जी 20 सम्मेलन में भारत की अहम भूमिका

खबरों में क्यों ?

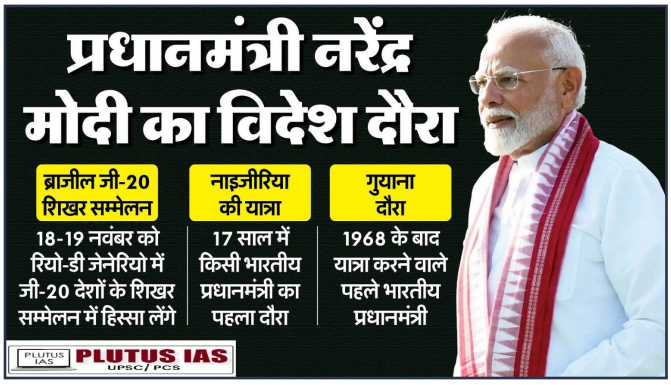

- हाल ही में 18 नवंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19वें G-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील के रियो डी जेनेरियो पहुंचे।
- यह शिखर सम्मेलन 18 और 19 नवंबर 2024 को आयोजित किया जा रहा है।
- अपने आगमन के बाद, प्रधानमंत्री ने वैश्विक नेताओं के साथ महत्वपूर्ण चर्चाओं में भाग लेने और सम्मेलन के दौरान उपयोगी विचार-विमर्श में शामिल होने के बारे में अपनी उत्सुकता को व्यक्त किया है।

जी-20 क्या है?

- जी-20 एक अंतरराष्ट्रीय मंच है, जिसमें 19 प्रमुख देशों और यूरोपीय संघ की सरकार तथा केंद्रीय बैंक गवर्नर शामिल हैं।
- इस समूह का उद्देश्य दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाकर आर्थिक नीतियों पर चर्चा करना और वैश्विक समस्याओं का समाधान निकालने के लिए समन्वय स्थापित करना है।

जी-20 की मुख्य विशेषताएँ :

सदस्यता :

- जी-20 में 19 देश और यूरोपीय संघ तथा अफ्रीकी संघ शामिल हैं, जो दुनिया की प्रमुख विकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं।

जी-20 का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव :

- जी-20 का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा असर है। यह समूह दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% और वैश्विक जनसंख्या का दो-तिहाई प्रतिनिधित्व करता है। इसके कारण, जी-20 वैश्विक संकटों जैसे आर्थिक मंदी, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य संकटों और विकास संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए एक प्रमुख मंच बन गया है।

जी-20 की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :

- जी-20 का गठन 1999 में 1997-98 के एशियाई वित्तीय संकट के बाद हुआ था।
- प्रारंभ में यह केवल वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के लिए वैश्विक वित्तीय मुद्दों पर चर्चा का एक मंच था।
- वर्ष 2007-2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद जी-20 को इसके सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और उस देश के सरकार के प्रमुखों की वार्षिक बैठक में रूपांतरित कर दिया गया, और इसे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के सबसे महत्वपूर्ण मंच के रूप में स्थापित किया गया।

G 20 शिखर सम्मेलन और उससे संबंधित सम्मेलन :

- जी-20 हर साल एक शिखर सम्मेलन आयोजित करता है, जिसमें सदस्य देशों के नेता प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करते हैं।
- इसके अलावा इसके शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों, केंद्रीय बैंक गवर्नरों और अन्य उच्च अधिकारियों की बैठक पूरे वर्ष भर होती रहती हैं।
- शिखर सम्मेलन की मेज़बानी हर साल आपस में ही घूमते हुए सदस्य देशों के द्वारा की जाती है।

G – 20 समूह द्वारा ध्यान केंद्रित करने वाला मुख्य क्षेत्र :

1. **आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करना :** इस समूह का एक मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सदस्य देशों के बीच आर्थिक स्थिरता, विकास और व्यापार को प्रोत्साहित करना है।
2. **पर्यावरणीय एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित संकटों का स्थायी समाधान ढूंढ़ना :** G- 20 समूह का मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय संकटों का समाधान ढूंढ़ना और स्थायी उपायों पर चर्चा करना है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

3. **वैश्विक स्वास्थ्य संकटों का समाधान ढूँढना :** यह समूह वैश्विक स्तर पर होने वाले स्वास्थ्य से संबंधित संकटों का समाधान जैसे महामारी (COVID-19) से निपटना और स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है।

4. **वैश्विक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध होना :** यह समूह अपने कूटनीतिक और आर्थिक नीतियों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने को सुनिश्चित करने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है।

5. **आर्थिक विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना :** इस समूह का एक उद्देश्य यह भी है कि यह प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है।

6. **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करना :** यह गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और समावेशी विकास के उद्देश्य से सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने पर भी अपना ध्यान केंद्रित करता है।

अध्यक्ष के पद का घूर्णनशील प्रकृति का होना :

- जी-20 की अध्यक्षता इसके सदस्य देशों के बीच घूमती रहती है।
- प्रत्येक वर्ष, अध्यक्षता करने वाला देश शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा निर्धारित करता है और प्रमुख बैठकों की मेजबानी करता है।
- प्रेसीडेंसी ट्रोइका का भी नेतृत्व करती है, जो जी-20 प्रक्रिया में निरंतरता और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान, अतीत और भविष्य की अध्यक्षताओं से मिलकर बना एक समूह है।

G-20 का महत्व :

1. **वैश्विक स्तर पर आर्थिक नेतृत्व को प्रभावित करना :** जी-20 दुनिया की जीडीपी का 85% और वैश्विक व्यापार का 75% हिस्सा प्रतिनिधित्व करता है, जिससे यह विश्व अर्थव्यवस्था और आर्थिक नीतियों को प्रभावी रूप से आकार देता है।

2. **वैश्विक स्तर पर संकट प्रबंधन का समाधान करना :** यह वैश्विक संकटों जैसे 2008 के वित्तीय संकट और COVID-19 महामारी के दौरान समन्वित प्रतिक्रियाओं की दिशा तय करता है, जिससे वैश्विक आर्थिक स्थिति को स्थिर रखने में मदद मिलती है।

3. **समावेशी विकास पर पर ध्यान केंद्रित करना :** G-20 गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और आर्थिक समावेश पर ध्यान केंद्रित करता है, खासकर विकासशील देशों के लिए, ताकि उन्हें भी वैश्विक अर्थव्यवस्था से लाभ मिल सके।

4. **सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्थन देना :** यह हरित विकास और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आर्थिक नीतियों को सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के साथ जोड़ने का समर्थन करता है, जिससे पर्यावरणीय और सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित हो।

5. **वैश्विक व्यापार और निवेश प्रवाह को प्रोत्साहित करना :** G-20 मुक्त और खुले बाजारों की वकालत करता है, व्यापार बाधाओं को कम करने का प्रयास करता है और वैश्विक व्यापार और निवेश प्रवाह को प्रोत्साहित करता है।

6. **बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना :** यह वैश्विक आर्थिक नीतियों, वित्तीय स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय शासन सुधारों पर सहयोग को बढ़ावा देता है, जिससे देशों के बीच समन्वय और साझा लक्ष्य तय होते हैं।

7. **वैश्विक मानकों और वैश्विक नीति की रूपरेखा को तय करना :** G-20 समूह कराधान, कॉर्पोरेट प्रशासन और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण वैश्विक नीति की रूपरेखा को तय करता है, जो दुनिया भर में नीति निर्धारण को प्रभावित करती हैं।

8. **वैश्विक सुरक्षा और शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना :** यह वैश्विक सुरक्षा, स्वास्थ्य और भू-राजनीतिक चुनौतियों पर चर्चा करता है, और शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है।

G-20 शिखर सम्मेलन में भारत की भूमिका :

1. **समावेशी विकास और आर्थिक सशक्तिकरण के पक्ष में आवाज उठाना :** भारत एक प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में वैश्विक दक्षिण का प्रतिनिधित्व करता है और विकासशील देशों के लिए समावेशी विकास और आर्थिक सशक्तिकरण के पक्ष में आवाज उठाता है।

2. **जलवायु कार्रवाई और हरित विकास को बढ़ावा देना :** भारत पर्यावरण के लिए जीवनशैली (LIFE) जैसे अग्रणी अभियानों के माध्यम से, भारत जलवायु कार्रवाई और हरित विकास को बढ़ावा देता है, जो सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

3. **भारत द्वारा समावेशी विकास का समर्थन करना :** भारत गरीबी उन्मूलन, लैंगिक समानता, रोजगार सृजन और वित्तीय समावेशन जैसे मुद्दों पर जोर देता है, ताकि विशेष रूप से विकासशील देशों को समृद्धि के लाभ मिल सकें।

4. **भारत द्वारा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना :** भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक समाधान प्रस्तुत करता है, जिससे वित्तीय समावेशन और डिजिटल विकास को प्रोत्साहन मिलता है।

5. **भारत द्वारा वैश्विक स्वास्थ्य और चुनौतियों में अग्रणी भूमिका निभाना :** भारत ने महामारी प्रतिक्रिया, वैक्सीनेशन अभियान और वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों में अग्रणी भूमिका निभाई है, इसके साथ ही शांति और बहुपक्षवाद की मजबूती के लिए भी काम किया है।

6. **भारत द्वारा वैश्विक शासन को और अधिक समावेशी और निष्पक्ष बनाने के लिए आह्वान करना :** भारत वैश्विक संस्थाओं को और अधिक समावेशी और निष्पक्ष बनाने के लिए आह्वान करता है, विशेषकर IMF और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं में सुधारों के पक्ष में है।

7. **भारत द्वारा G-20 प्रेसीडेंसी का वर्ष 2023 में नेतृत्व करना :** भारत की अध्यक्षता में "वसुधैव कुटुम्बकम" (एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य) का संदेश दिया गया, जो सतत विकास, समावेशी विकास, जलवायु वित्त और महिला सशक्तिकरण जैसे प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित था।

आगे की राह :

1. **प्रवर्तन तंत्र को को जवाबदेह बनाने हेतु ठोस तंत्र स्थापित करना :** G -20 समूह देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन से संबंधित, व्यापार और वित्तीय प्रतिबद्धताओं के पालन के लिए सदस्य देशों को जवाबदेह बनाने हेतु ठोस तंत्र स्थापित किया जाए।

2. **समावेशिता सुनिश्चित करना :** इस समूह द्वारा विकसित और विकासशील देशों के बीच समान प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना और गैर-सदस्यों के लिए परामर्श प्रक्रिया को शामिल करना चाहिए।

3. **हरित नीतियों को व्यापार ढांचे के साथ मिलाकर सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना :** इसे वैश्विक स्तर पर हरित नीतियों को व्यापार ढांचे के साथ मिलाकर सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए।

4. **बेहतर समन्वय स्थापित करना :** इस समूह को अतिरेक से बचने और समन्वित नीति निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख वैश्विक संस्थाओं जैसे संयुक्त राष्ट्र और IMF के साथ अधिक सक्रिय सहयोग करना चाहिए।

5. **डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देना :** इसे विकासशील देशों के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना चाहिए।

6. **एजेंडा का विस्तार सुनिश्चित करना :** वैश्विक स्वास्थ्य, सुरक्षा और शांति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जी-20 के एजेंडे को अर्थव्यवस्था से परे विस्तारित करने को सुनिश्चित करना चाहिए।

7. **कूटनीति को मजबूत करना :** भू-राजनीतिक संवाद और संघर्ष समाधान के लिए जी-20 को एक प्रमुख मंच के रूप में उपयोग करना चाहिए।

8. **हरित विकास को बढ़ावा देना :** G -20 समूह को जलवायु वित्त को बढ़ाकर और टिकाऊ प्रौद्योगिकियों का समर्थन करके समावेशी विकास को बढ़ावा देना चाहिए।

निष्कर्ष :

- G-20 वैश्विक स्तर पर आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इस समूह को किसी भी प्रकार के बाध्यकारी प्राधिकरण के नहीं होने की कमी, भू-राजनीतिक तनाव और असमान प्रतिनिधित्व जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

- अतः इन चुनौतियों के समाधान के लिए, G-20 समूह को एक मजबूत और जिम्मेदार प्रवर्तन तंत्र को स्थापित करना चाहिए तथा सभी सदस्य देशों की समावेशिता को सुनिश्चित करना चाहिए।

- इस समूह को वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन से संबंधित और व्यापार नीतियों को संरेखित करना चाहिए।

- इसे स्वास्थ्य, सुरक्षा और डिजिटल समावेशन को शामिल करने के लिए अपने मुख्य उद्देश्य के क्षेत्र का विस्तार भी करना चाहिए।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. G- 20 कॉमन फ्रेमवर्क" के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें (UPSC प्रारंभिक परीक्षा 2022)

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

1. यह पेरिस क्लब के साथ G20 द्वारा समर्थित एक पहल है।

2. यह कम आय वाले देशों को अस्थिर ऋण का समर्थन करने की एक पहल है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: C

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. G-20 समूह बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के हितों को संतुलित करते हुए छोटे और आर्थिक रूप से कमजोर अर्थव्यवस्था वाले गरीब देशों की चिंताओं का बेहतर ढंग से समाधान कैसे कर सकता है? तर्कसंगत चर्चा कीजिए।

(शब्द सीमा – 250 अंक -15)

राज्य वित्त आयोग

खबरों में क्यों?

- हाल ही में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों ने राज्य वित्त आयोग (SFC) का गठन कर लिया है।
- 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में राज्य वित्त आयोगों के गठन में देरी पर चिंता जताई है।

राज्य वित्त आयोग (SFC) क्या होता है ?

1. राज्य वित्त आयोग (SFC) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-I के तहत राज्य सरकारों द्वारा गठित संवैधानिक निकाय होते हैं, जिनका उद्देश्य राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करना है।

2. 15वें वित्त आयोग ने कहा है कि भारत में केवल नौ राज्यों ने अपने छठे SFC का गठन किया है, जबकि 2019-20 तक यह हर राज्य द्वारा किया जाना चाहिए था।

3. 15वें वित्त आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि जिन राज्यों ने SFC का गठन नहीं किया, उनकी अनुदान सहायता रोक दी जाए।

4. भारत में पंचायती राज मंत्रालय का काम है, 2024-25 और 2025-26 के लिए अनुदान जारी करने से पहले यह सुनिश्चित करना कि राज्यों ने संवैधानिक प्रावधानों का पालन किया है अथवा नहीं किया है।

भारत में राज्य वित्त आयोगों (SFCs) का गठन क्यों जरूरी है?

1. **वित्तीय स्थिरता और स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक आवश्यकता :** अनुच्छेद 243(I) के तहत, राज्य वित्त आयोगों का गठन हर पांच साल में करना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिरता और स्वायत्तता सुनिश्चित करना है।

2. **राजकोषीय हस्तांतरण का सही वितरण सुनिश्चित करना :** राज्य वित्त आयोग (SFC) स्थानीय निकायों के बीच धन का सही वितरण सुनिश्चित करता है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होती है। इसके परिणामस्वरूप, केंद्रीय वित्त आयोग को केंद्रीय निधियों का उचित आवंटन करने में मदद मिलती है।

3. **सेवाओं में सुधार लाने और नागरिकों के प्रति जवाबदेही बढ़ाने के लिए प्रेरित करना :** राज्य वित्त आयोग (SFC) स्थानीय निकायों को उनके वित्तीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करने, सेवाओं में सुधार लाने और नागरिकों के प्रति जवाबदेही बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। इससे प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन और पुरस्कार- दंड प्रणाली की स्थापना होती है, जो शासन में सुधार करती है।

4. **स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करना :** राज्य वित्त आयोग (SFC) की सिफारिशों के द्वारा, स्थानीय निकाय स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं को बेहतर तरीके से प्रदान करने में सक्षम होते हैं, जिससे नागरिकों को लाभ होता है।

5. **वित्तीय अंतराल को कम कर वित्तीय हस्तांतरण की सिफारिश करना :** स्थानीय निकायों को अक्सर वित्तीय संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। राज्य वित्त आयोग (SFC) इनकी जरूरतों के मुताबिक वित्तीय हस्तांतरण की सिफारिश करता है,

जिससे स्थानीय सरकारों को पर्याप्त संसाधन मिलते हैं।

6. **राजनीतिक और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करना :** राज्य वित्त आयोग (SFC) केवल वित्तीय सिफारिशें ही नहीं करता, बल्कि यह स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों जैसे पंचायत प्रधानों और नगरपालिका पार्षदों को सशक्त बनाता है, जिससे प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिलता है।

भारत में वित्त आयोग क्या होता है?

1. **एक संवैधानिक निकाय होना :** वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत एक संवैधानिक निकाय है, जिसे राष्ट्रपति हर पाँच साल में नियुक्त करते हैं, या आवश्यक समझे जाने पर पहले भी नियुक्त कर सकते हैं।

2. **वित्त आयोग की संरचना :** भारत में इस आयोग में एक अध्यक्ष और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त चार अन्य सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष को सार्वजनिक मामलों का अनुभव होना चाहिए।

3. **कार्य और कर्तव्य :** वित्त आयोग का मुख्य कार्य राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर सिफारिशें करना है।

4. **कर वितरण की सिफारिश करना :** यह संघ और राज्यों के बीच कर आय के वितरण की सिफारिश करता है, जिसमें राज्यों का हिस्सा तय करना शामिल है।

5. **राज्यों को सहायता अनुदान देने का सुझाव देना :** यह केंद्र से राज्यों को सहायता अनुदान देने के सिद्धांतों पर सुझाव देता है।

6. **राज्य की समेकित निधि में वृद्धि के उपायों की सिफारिश करना :** यह राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित राज्य की समेकित निधि में वृद्धि के उपायों की सिफारिश करता है।

7. **सार्वजनिक वित्त को सुदृढ़ करने से संबंधित अतिरिक्त मामलों पर विचार करना :** वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अन्य मामलों पर भी विचार कर सकता है, जो सार्वजनिक वित्त को सुदृढ़ बनाने में मदद करें।

8. **स्थानीय निकायों की वित्तीय क्षमता को मजबूत करने के उपायों की सिफारिश करना :** वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के साथ-साथ स्थानीय निकायों की वित्तीय क्षमता को मजबूत करने के उपायों की सिफारिश भी करता है। यह सुनिश्चित करता है कि स्थानीय सरकारों के पास जरूरी सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त धन हो, जिससे शासन और सत्ता का विकेंद्रीकरण और जन-केंद्रित नीतियाँ शामिल हो।

9. **भारत में 16वां वित्त आयोग :** 16वें वित्त आयोग का गठन दिसंबर 2023 में किया गया था , जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया हैं। यह आयोग 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर पाँच वर्ष की अवधि तक काम करेगा।

राज्य वित्त आयोगों (SFC) की मुख्य समस्याएँ :

1. **राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी होना :** भारत में 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के तहत स्थानीय निकायों को स्वायत्तता और संसाधन हस्तांतरित करने के प्रति राज्य सरकारों में दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है, जिससे इस प्रक्रिया में बाधाएं आती हैं।

2. **संसाधनों की कमी के कारण कार्यक्षमता का प्रभावित होना :** राज्य वित्त आयोग को डेटा संग्रहण की शुरुआत में ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई बार आवश्यक जानकारी व्यवस्थित और उपलब्ध नहीं होती, जो उनकी कार्यक्षमता को प्रभावित करती है।

3. **सार्वजनिक वित्त विशेषज्ञ की कमी का सामना करना :** कई राज्य वित्त आयोगों का नेतृत्व नौकरशाहों या राजनेताओं के हाथों में होता है, जिनमें डोमेन विशेषज्ञों और सार्वजनिक वित्त के पेशेवरों की कमी होती है। इसका परिणाम यह होता है कि आयोग की सिफारिशों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर असर पड़ता है।

4. **पारदर्शिता और जवाबदेही में कमी होना :** राज्य सरकारें अक्सर राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) पेश नहीं करतीं, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही में कमी आती है।

5. **सिफारिशों की अनदेखी करना :** राज्य सरकारें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का पालन करने में असफल रहती हैं, जिससे स्थानीय शासन के लिए राजकोषीय नीतियों में आयोग की भूमिका कमजोर पड़ जाती है।

6. **राजकोषीय विकेंद्रीकरण और जन प्रतिरोध का सामना करना :** शहरी स्थानीय निकायों को अक्सर उपेक्षा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहां की राजनीतिक जागरूकता कम होती है और जनता की भागीदारी सीमित होती है, जिससे राजकोषीय विकेंद्रीकरण में अड़चनें आती हैं।

आगे की राह :

1. **संवैधानिक समय-सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करना :** संविधान के अनुसार, प्रत्येक राज्य को हर पाँच साल में राज्य वित्त

आयोग का गठन करना अनिवार्य है। जो राज्य इस समय-सीमा का पालन नहीं करते, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी होनी चाहिए।

2. **राजनीतिक प्रतिरोध कम करना :** राज्य सरकारों को स्थानीय निकायों को वित्तीय स्वायत्तता देने के फायदों के बारे में जागरूक करना चाहिए, ताकि नागरिकों को बेहतर सेवाएं, संतुष्टि और जवाबदेह शासन मिल सके।

3. **सार्वजनिक वित्त विशेषज्ञों और अन्य प्रासंगिक पेशेवरों की नियुक्ति करना :** राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य वित्त आयोग का नेतृत्व अर्थशास्त्रियों, वित्तीय विशेषज्ञों और अन्य प्रासंगिक पेशेवरों द्वारा किया जाए, न कि केवल नौकरशाहों या राजनेताओं द्वारा, ताकि आयोग की कार्यकुशलता और सिफारिशों की गुणवत्ता बढ़ सके।

4. **स्थानीय डेटा प्रणालियों में सुधार करना :** स्थानीय निकायों को वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आधुनिक डेटा प्रणालियाँ अपनानी चाहिए, जिससे राज्य वित्त आयोग को सटीक और सूचित सिफारिशें करने में मदद मिले।

5. **पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) प्रस्तुत करना :** राज्य सरकारों को विधायिका में कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) प्रस्तुत करनी चाहिए, जिसमें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के लागू होने के लिए समयसीमा और उपायों की स्पष्ट रूपरेखा हो, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़े।

6. **एक स्वतंत्र मूल्यांकन निकाय का गठन किया जाना :** वित्तीय हस्तांतरण की प्रभावशीलता और राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय का गठन किया जा सकता है।

7. **राज्यों को सुधार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन ढांचा को सुदृढ़ करना :** पंचायती राज मंत्रालय को राज्य वित्त आयोग अनुपालन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों के लिए पुरस्कार प्रणाली बनानी चाहिए और अन्य राज्यों को सुधार के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

स्रोत- पीआईबी एवं इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत के वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. भारत में वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

2. वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और छह अन्य सदस्य शामिल होते हैं जिनकी नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।

3. भारत का वित्त आयोग केंद्र सरकार के शुद्ध कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी की सिफारिश करता है।

4. नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया को सोलहवें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

उपरोक्त कथन / कथनों में कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1और 4

B. केवल 1 और 3

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत के वित्त आयोग की संरचना और कार्य को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि भारत में लोकलुभावनवादी नीतियां कैसे भारत के राजकोषीय घाटा, सहकारी संघवाद और केंद्र – राज्य संबंध को प्रभावित करता है ?

(शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

संगठित और असंगठित श्रम का समागम : भारत में कार्यबल के औपचारिकीकरण की प्रक्रिया

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था औपचारिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजर रही है, जिससे लाखों लोगों के लिए रोजगार संरचनाएं, सुरक्षा और सामाजिक लाभ नए रूप में सामने आ रहे हैं।

- इस बदलाव से भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अब सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों से जुड़ सकेगा, जो उनके आर्थिक स्थिरता और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करेगा।

- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सहयोग से यह बदलाव श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़कर भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहा है।

कार्यबल का औपचारिकीकरण :

- कार्यबल का औपचारिकीकरणएक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को समतापूर्ण और लचीला बनाने की दिशा में है।

- यह श्रमिकों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा और कार्य स्थितियाँ प्रदान करता है। इसके साथ – ही – साथ यह उत्पादकता, कर अनुपालन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को भी मजबूत करता है।

- जब अनौपचारिक क्षेत्र (जैसे छोटे व्यवसाय और दैनिक वेतन भोगी श्रमिक) से नौकरियाँ औपचारिक क्षेत्र (जहां कर्मचारी अनुबंध, सुरक्षा और लाभ प्राप्त करते हैं) में स्थानांतरित होती हैं, तो इसे औपचारिकीकरण कहा जाता है।

विशेषताएँ :

1. यह व्यवसाय कानूनी ढांचे के आधार पर ही संचालित होते हैं और नियमों का पालन करते हैं।
2. इससे कर राजस्व और कर आधार में वृद्धि होती है।
3. इसमें कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और श्रम कानूनों के तहत लाभ मिलते हैं।
4. इससे औपचारिक व्यवसायों को वित्तीय सेवाओं और ऋण की सुगम पहुँच होती है।
5. यह उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ – ही – साथ आपस में प्रतिस्पर्धा को भी प्रोत्साहित करता है।

महत्त्व :

1. **अनौपचारिक रोजगार :** भारत का अधिकांश कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में है, जो औपचारिक श्रम कानूनों से बाहर है।
2. **सामाजिक सुरक्षा :** औपचारिकीकरण से श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पेंशन जैसे लाभ मिलते हैं।
3. **आर्थिक नियोजन और डेटा संग्रहण को बेहतर बनाना :** यह बेहतर डेटा संग्रहण नीति-निर्माण और आर्थिक नियोजन में सहायक होता है।
4. **सरकार को अधिक कर राजस्व प्राप्त करने में मदद करना :** औपचारिक कार्यबल सरकार को अधिक कर राजस्व प्राप्त करने में मदद करता है।
5. **काले धन में कमी :** यह आर्थिक मामलों में पारदर्शिता को बढ़ाता है और धन शोधन से संबंधित अवैध गतिविधियों को कठिन बनाता है।
6. **डिजिटल समावेशन :** डिजिटल उपकरणों का उपयोग बढ़ता है, जिससे कार्यबल में दक्षता और पारदर्शिता में सुधार होता है।
7. **निवेश को प्रोत्साहित करना :** एक औपचारिक कार्यबल घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के निवेश को प्रोत्साहित करता है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और भारत के कार्यबल औपचारिकीकरण में इसकी भूमिका :

1. **श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करना :** EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) विश्व के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है, जो लाखों भारतीय श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1952 में कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम के तहत हुई थी। वर्तमान में, EPFO लगभग 29.88 करोड़ खातों का प्रबंधन करता है, जो इसके विशाल आकार और वित्तीय लेन-देन की व्यापकता को दर्शाता है। यह संगठन भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

2. **कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लाभ :** कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमुख सुविधाओं में सेवानिवृत्ति निधि, कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), कर्मचारी डिपॉजिट-लिंक्ड बीमा (EDLI) और आपातकालीन, शिक्षा या घर खरीदने के लिए EPF से आंशिक निकासी शामिल हैं। ये लाभ कर्मचारियों को दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा और भविष्य के लिए सुनिश्चित समर्थन प्रदान करते हैं।

3. **कार्यबल औपचारिकीकरण में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की भूमिका :** वर्ष 2017 से 2024 तक EPFO में 6.91 करोड़ नए सदस्य जुड़ चुके हैं, जिसमें 2022-23 में 1.38 करोड़ नए सदस्य पंजीकृत हुए। जुलाई 2024 में ही करीब 20 लाख नए सदस्य जुड़े, जो औपचारिक नौकरी की ओर बढ़ते रुझान को दर्शाता है। इसके अलावा, युवा और महिला कर्मचारियों की बढ़ती भागीदारी EPFO के प्रति बढ़ती जागरूकता और समावेशी कार्यबल का संकेत है। EPFO पंजीकरण की वृद्धि भारत में औपचारिक नौकरी

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

के अवसरों की बढ़ती संख्या को और अधिक कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभों की प्राप्ति को दर्शाती है।

भारत में कार्यबल के औपचारिकीकरण की मुख्य चुनौतियाँ :

1. **अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाना और वित्तीय बाधाओं को कम करना अत्यंत जरूरी :** MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) और छोटे व्यवसायों के लिए कार्यबल की औपचारिकीकरण लागत अधिक और जटिल होती है। भारत का लगभग 80-90% कार्यबल अनौपचारिक है, और छोटे व्यवसाय अनुपालन से बचने के लिए अनौपचारिकता को प्राथमिकता देते हैं। इस चुनौती को दूर करने के लिए अनुपालन को सरल बनाना और वित्तीय बाधाओं को कम करना जरूरी होगा।

2. **मौसमी कार्यबल का होना :** कृषि, निर्माण और अन्य कम वेतन वाली नौकरियों में प्रवासी श्रमिकों के पास नियमित औपचारिक अनुबंध नहीं होते हैं, क्योंकि उनका स्थानांतरण लगातार होता रहता है। दस्तावेज़ीकरण की कमी उनके औपचारिकीकरण में रुकावट डालती है।

3. **औपचारिक लाभों के प्रति जागरूकता की कमी के कारण परिवर्तन का प्रतिरोध करना :** अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक लचीलेपन को प्राथमिकता देते हैं और औपचारिक लाभों के प्रति जागरूकता की कमी के कारण औपचारिकता अपनाने में हिचकिचाते हैं।

4. **डिजिटल उपकरणों की सीमित पहुँच का होना :** आधार और UPI की उपलब्धता के बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल उपकरणों की सीमित पहुँच औपचारिक रोजगार के लिए एक बड़ी बाधा बनती है।

5. **आवश्यक कौशल का अभाव होना :** अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों में औपचारिक नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल का अभाव है, और इनके लिए पर्याप्त कौशल विकास कार्यक्रम भी उपलब्ध नहीं हैं।

6. **लैंगिक पूर्वाग्रहों के कारण लैंगिक असमानता का होना :** महिलाओं को औपचारिक रोजगार में सामाजिक-सांस्कृतिक चुनौतियों, बाल देखभाल सेवाओं की कमी और कार्यस्थल पर लैंगिक पूर्वाग्रह जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

कार्यबल के औपचारिकीकरण से संबंधित भारत की विभिन्न पहल :

1. **ई-श्रम पोर्टल**
2. **उद्यम पोर्टल**
3. **प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना**
4. **श्रम सुधार :** सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020 जैसे श्रम संहिताओं का उद्देश्य श्रम कानूनों को सरल बनाना और कार्य स्थितियों में सुधार करना है।
5. **GST और डिजिटल भुगतान प्रणाली :** GST (2017) और डिजिटल भुगतान प्रणालियाँ व्यवसायों को पारदर्शी तरीके से संचालन करने और कर प्रणाली में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, जिससे अनौपचारिकता कम हो रही है।

समाधान / आगे की राह :

1. **उपयुक्त प्रोत्साहन उपायों पर ध्यान केंद्रित करना :** व्यवसायों को औपचारिक क्षेत्र में लाने के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन और उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

2. **बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच बढ़ाकर वित्तीय समावेशन में सुधार करना :** प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के जरिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच बढ़ाकर और डिजिटल भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा देकर अधिक व्यवसायों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में समाहित किया जा सकता है।

3. **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना :** कौशल भारत मिशन के तहत उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देकर श्रमिकों को औपचारिक रोजगार के लिए आवश्यक कौशल से लैस किया जा सकता है।

4. **वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए MSME को बढ़ावा देना :** MSME को वित्तीय सहायता और बेहतर कार्यप्रणाली से मजबूत करके उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जा सकता है, जिससे औपचारिकीकरण और रोजगार सृजन में मदद मिलेगी।

5. **विशेष लक्षित योजनाएँ लागू करना :** जनजातीय श्रमिकों के औपचारिकीकरण के लिए विशेष योजनाएँ लागू करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठा सकें।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

निष्कर्ष :

- औपचारिकीकरण भारत के श्रमिकों को अनिश्चितताओं के समय में रोजगार सुरक्षा प्रदान करता है, जैसा कि कोविड-19 महामारी के दौरान देखा गया।
- EPFO पंजीकरण में वृद्धि संगठित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते कदमों का संकेत है, जिससे लाखों लोगों के लिए सुरक्षित और उज्जवल भविष्य सुनिश्चित होगा।

स्रोत- पीआईबी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के योगदान से भारत की अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव हो सकता है?

1. इससे श्रमिकों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा मिल सकेगी।
2. केवल सरकारी कर्मचारियों को इससे लाभ प्राप्त होगा जिससे केवल सरकारी क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा।
3. लाखों लोगों को रोजगार की नई संरचनाएं मिलेंगी।
4. इससे भारतीय उद्योगों में श्रमिकों की संख्या कम होगी।

उपर्युक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 3

B. केवल 2 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारतीय अर्थव्यवस्था में संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बीच की खाई को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा करें और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की भूमिका, समावेशी विकास, रोजगार, सामाजिक सेवाओं के प्रबंधन, और इन योजनाओं के आर्थिक स्थिरता पर प्रभाव का विश्लेषण करें।

(शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 : सतत कृषि के लिए मिट्टी की भूमिका

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 अक्टूबर 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूसा, दिल्ली में आयोजित वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।
- वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 का विषय- **"खाद्य सुरक्षा से परे मृदा की देखभाल: जलवायु परिवर्तन शमन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं"** था।
- इस वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ (इटली), भारतीय मृदा विज्ञान सोसायटी (आईएसएसएस), और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है।

भारत में मिट्टी : वर्तमान परिदृश्य

- भारत में कृषि, खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए मिट्टी एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जहां 60% से अधिक आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। हालांकि, भारत में मृदा स्वास्थ्य को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इन मुद्दों को संबोधित करने और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए इसके वर्तमान परिदृश्य को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भारत में मिट्टी के प्रकार :

जलोढ़ मिट्टी :

- **संघटन :** यह रेत, गाद और मिट्टी के महीन कणों से बनी होती है, जिसमें खनिज जैसे फास्फोरस, पोटेशियम और कार्बनिक पदार्थ होते हैं।
- **वितरण :** मुख्य रूप से गंगा मैदान, हिमालय तलहटी और ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में पाई जाती है।

- **प्रमुख फसलें :** गेहूं, चावल, गन्ना, मक्का, सब्जियाँ, फल।

काली मिट्टी :

- **संघटन :** यह लौह, कैल्शियम और मैग्नीशियम से समृद्ध होती है, जिसमें ह्यूमस अधिक होता है।
- **वितरण :** दक्कन पठार, विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक।
- **प्रमुख फसलें :** कपास, मूंगफली, सोयाबीन, ज्वार, चना, तम्बाकू।

लाल मिट्टी :

- **संघटन :** यह मिट्टी लोहे और एल्युमिनियम से समृद्ध होती है और इस मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए उर्वरक की आवश्यकता होती है।
- **वितरण :** दक्षिणी और पूर्वी भारत के हिस्सों में, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा।
- **प्रमुख फसलें :** मूंगफली, दालें, बाजरा, मक्का, कपास।

लैटेराइट मिट्टी :

- **संघटन :** यह लौह और एल्यूमीनियम ऑक्साइड से भरपूर होती है, लेकिन इसमें पोषक तत्वों की कमी रहती है।
- **वितरण :** उच्च वर्षा वाले क्षेत्र, जैसे पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर राज्य, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल।
- **प्रमुख फसलें :** चाय, कॉफी, रबर, नारियल, इलायची, मसाले।

शुष्क मिट्टी :

- **संघटन :** यह मिट्टी अत्यधिक क्षारीय और खारा होती है, जिसमें कार्बनिक तत्व कम होते हैं।
- **वितरण :** यह मिट्टी मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश के शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है।
- **प्रमुख फसलें :** गेहूं, जौ, बाजरा, मिर्च, चना।

मृदा संरक्षण के लिए सरकारी योजनाएँ और नीतियाँ :

- भारत सरकार की प्रमुख प्राथमिकता मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखना और कृषि उत्पादकता में सुधार लाना है। भारत में मृदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ और नीतियाँ लागू की गई हैं, जिनसे जल, उर्वरता हानि और पर्यावरणीय गिरावट जैसी समस्याओं का समाधान किया जा सके। अतः भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मृदा के संरक्षण और कृषि की स्थिरता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। जिनमें निम्नलिखित योजनाएँ शामिल है –

राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) :

- **उद्देश्य :** टिकाऊ कृषि और मृदा स्वास्थ्य में सुधार।
- **मुख्य क्रियाएँ :** जैविक खेती, कृषि वानिकी, पोषक तत्व प्रबंधन, जल-उपयोग दक्षता और संरक्षण जुताई को बढ़ावा देना।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (एसएचसीएस) :

- **उद्देश्य :** किसानों को मृदा की गुणवत्ता और सुधार के लिए सिफारिशें देना।
- **मुख्य क्रियाएँ :** मिट्टी परीक्षण, उर्वरक उपयोग पर मार्गदर्शन और संतुलित उर्वरीकरण को बढ़ावा देना।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) :

- **उद्देश्य :** जल-उपयोग दक्षता बढ़ाना और सिंचाई से जुड़ी मृदा समस्याओं को कम करना।
- **मुख्य क्रियाएँ :** सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों, जल संचयन और वर्षा जल प्रबंधन को प्रोत्साहित करना।

एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) :

- **उद्देश्य :** जलसंभर क्षेत्रों में मृदा, जल और वनस्पति का संरक्षण।
- **मुख्य क्रियाएँ :** मृदा क्षरण नियंत्रण, चेक डैम और वनरोपण को बढ़ावा देना।

राष्ट्रीय जलग्रहण प्रबंधन परियोजना (एनडब्ल्यूएमपी) :

- **उद्देश्य :** जल संभर प्रबंधन और मृदा संरक्षण को बढ़ावा देना।
- **मुख्य क्रियाएँ :** मृदा अपरदन और जल संरक्षण उपायों पर ध्यान केंद्रित करना।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) :

- **उद्देश्य :** उन्नत कृषि पद्धतियों के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य को सुधारना।
- **मुख्य क्रियाएँ :** सीढ़ीदार निर्माण, जल-कुशल सिंचाई और जैविक खेती को प्रोत्साहित करना।

राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (एनएपी) :

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- **उद्देश्य :** इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृक्षारोपण और वनीकरण के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य और जैव विविधता को सुनिश्चित करना है।
- **मुख्य क्रियाएँ :** कटाव-प्रवण क्षेत्रों में वृक्षारोपण और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना।

राज्य स्तरीय मृदा संरक्षण योजनाएँ :

- **उद्देश्य :** राज्य स्तर पर मृदा संरक्षण के लिए विशेष योजनाएँ लागू करना।
- **मुख्य क्रियाएँ :** पहाड़ी, तटीय और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में मृदा संरक्षण उपायों को बढ़ावा देना।

उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ) :

- **उद्देश्य :** उर्वरकों के संतुलित उपयोग को सुनिश्चित करना।
- **मुख्य कार्य :** रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को रोकना और जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देना।

मृदा उत्पादकता में गिरावट के कारण :

- मिट्टी की उत्पादकता में गिरावट कृषि स्थिरता के लिए एक गंभीर समस्या बन चुकी है और इसके विभिन्न कारणों से फसल की पैदावार और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

मृदा क्षरण :

- **कटाव :** हवा, पानी और गलत कृषि पद्धतियाँ जैसे अतिचारण और मोनोकल्चर खेती से मिट्टी का कटाव होता है, जिससे उपजाऊ ऊपरी मिट्टी बह जाती है।
- **कार्बनिक पदार्थ की कमी :** रासायनिक उर्वरकों के अधिक उपयोग और जैविक कृषि के अभाव में मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ कम हो जाता है, जिससे संरचना और पोषक चक्र पर असर पड़ता है।

रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग :

- **पोषक तत्वों का असंतुलन :** रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का असंतुलन होता है।
- **मृदा अम्लीकरण :** रासायनिक उर्वरकों के निरंतर प्रयोग से मिट्टी का पीएच बदलकर अम्लीय या क्षारीय हो जाता है, जिससे उर्वरता में कमी आती है।

मृदा लवणीकरण और क्षारीकरण :

- **सिंचाई पद्धतियाँ :** अत्यधिक सिंचाई, विशेषकर शुष्क क्षेत्रों में, मिट्टी में नमक का जमाव करती है, जिससे लवणीकरण और क्षारीकरण होता है।
- **अनुचित जल प्रबंधन :** बाढ़ सिंचाई और खराब जल निकासी से जलभराव होता है, जो नमक जमा कर मिट्टी की गुणवत्ता को नुकसान पहुँचाता है।

मोनोकल्चर खेती :

- **पोषक तत्वों की कमी :** एक ही फसल की बार-बार खेती से मिट्टी में विशिष्ट पोषक तत्वों की कमी हो जाती है।
- **जैव विविधता की कमी :** मोनोकल्चर खेती से मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की विविधता घटती है, जो मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं।

वनों की कटाई और भूमि उपयोग परिवर्तन :

- **मृदा संरक्षण की हानि :** वनों की कटाई से मिट्टी की संरचना और उर्वरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- **प्राकृतिक प्रक्रियाओं में विघटन :** वनस्पति हटाने से प्राकृतिक मिट्टी सुधार प्रक्रिया जैसे पत्तियों का अपघटन रुक जाता है।

अत्यधिक चराई :

- **मिट्टी संकुचन :** अत्यधिक चराई से मिट्टी संकुचित होती है, जिससे पानी की अवशोषण क्षमता घटती है और कटाव बढ़ता है।
- **वनस्पति आवरण का नुकसान :** चराई से पौधों की जड़ों का आवरण कमजोर होता है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता और उर्वरता पर असर पड़ता है।

जलवायु परिवर्तन :

- **चरम मौसम घटनाएँ :** बाढ़, सूखा और अनियमित वर्षा जैसी घटनाओं से मिट्टी में कटाव और पोषक तत्वों की हानि होती है।
- **तापमान और नमी तनाव :** बढ़ते तापमान और अनियमित वर्षा से मिट्टी की नमी घटती है, जिससे उसकी संरचना और उत्पादकता प्रभावित होती है।

कीटनाशक और शाकनाशी का अत्यधिक उपयोग :

- **मृदा सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव :** रासायनिक कीटनाशक मिट्टी के लाभकारी सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देते हैं, जो उर्वरता बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं।
- **जैव विविधता में कमी :** यह रसायन मिट्टी की जैव विविधता को घटा देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में दीर्घकालिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

जलजमाव :

- **खराब जल निकासी :** खराब जल निकासी या सिंचाई से जलभराव होता है, जिससे मिट्टी में विषाक्त पदार्थ और लवण जमा होते हैं, और यह खेती के लिए अनुपयुक्त हो जाती है।

निष्कर्ष :

- मिट्टी का स्वास्थ्य कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत में मिट्टी का क्षरण, पोषक तत्वों का असंतुलन और जलवायु परिवर्तन इसकी उत्पादकता को प्रभावित कर रहे हैं। सरकारी योजनाएं जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार के लिए संतुलित उर्वरक, जल संरक्षण और प्रभावी सिंचाई को प्राथमिकता देते हैं। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग, मोनोकल्चर खेती और अनुचित सिंचाई जैसे मुद्दों का समाधान करना मिट्टी की उत्पादकता को पुनः स्थिर करने के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही, कृषि वानिकी, फसल चक्र और जैविक खेती जैसी स्थायी प्रथाएं जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में सहायक हो सकती हैं।

स्त्रोत – पीआईबी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1 . निम्नलिखित में से किस सरकारी योजना का उद्देश्य भारत में जल-उपयोग दक्षता में सुधार करना और मिट्टी के लवणीकरण को कम करना है?

A. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

B. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

C. राष्ट्रीय वाटरशेड प्रबंधन परियोजना

D. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

उत्तर – B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में मृदा क्षरण विभिन्न कारकों के कारण होता है, जिनमें रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। इन कारकों का विश्लेषण करते हुए मिट्टी के कटाव और उर्वरता हानि को कम करने के लिए दीर्घकालिक समाधान प्रस्तुत करें।

(शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025

खबरों में क्यों ?

- भारत के केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने हाल ही में 21 नवंबर 2024 को यह घोषणा की है कि बिहार अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा।
- यह आयोजन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मॉडल पर आधारित होगा, जिसमें एक ही राज्य में दोनों खेलों का आयोजन किया जाएगा।
- भारत में यह पहली बार होगा जब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के मॉडल पर दोनों खेल एक ही राज्य में आयोजित होंगे।
- इससे पहले, बिहार ने राजगीर में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी की थी, जिसमें भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चीन को हराया था।
- डॉ. मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्देश्य खेलो इंडिया गेम्स को पूरे देश में फैलाना है और बिहार इसका महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा।
- बिहार में वर्त्तमान में 38 खेलो इंडिया केंद्र और एक राज्य उत्कृष्टता केंद्र मौजूद हैं, जो खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करते हैं।
- डॉ. मांडविया ने यह भी कहा कि आगामी खेलों के बारे में अधिक जानकारी जल्द ही साझा की जाएगी।

खेलो इंडिया यूथ गेम्स का परिचय :

- यह खेल प्रतियोगिता भारत में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की बहु – विषयक खेल प्रतियोगिता है।

- इस खेल प्रतियोगिता को प्रत्येक वर्ष जनवरी या फरवरी में आयोजित किया जाता है जो भारत सरकार की खेलो इंडिया यूथ गेम्स पहल का एक हिस्सा हैं।
- इस खेल प्रतियोगिता का उद्देश्य खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और ज़मीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को पहचान दिलाना है।
- इससे पहले इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रतियोगिता के पिछले 5 संस्करणों का आयोजन दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, पंचकुला और भोपाल में किया गया था।

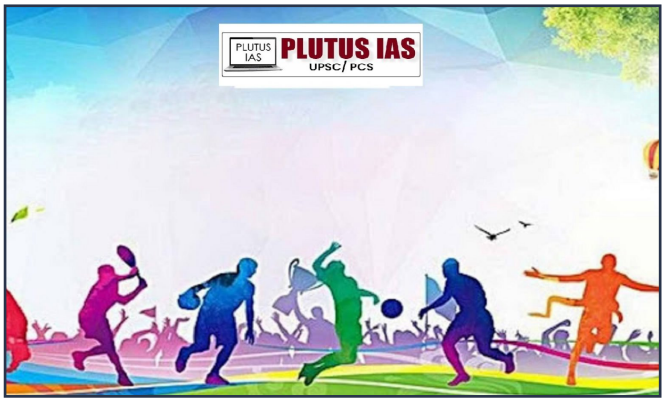

प्रारूप :

- भारत में इस खेल प्रतियोगिता को दो श्रेणियों में आयोजित किया जाता है।
- इस खेल प्रतियोगिता के पहली श्रेणी में 17 वर्ष से कम उम्र के स्कूली छात्र भाग लेते हैं। जबकि
- दूसरी श्रेणी में 21 वर्ष से कम उम्र के कॉलेज के छात्रों के बीच आयोजित किया जाता है।
- इस खेल प्रतियोगिता को एक टीम के चैंपियनशिप प्रारूप में आयोजित किया जाता है, जिसमें एथलीटों के व्यक्तिगत प्रदर्शनों को या उससे संबंधित टीमों द्वारा अर्जित पदकों को उनके संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश (UT) की समग्र पदक तालिका में योगदान के रूप में दर्ज किया जाता है।
- इस खेल प्रतियोगिता के आयोजन के समापन पर, सबसे अधिक स्वर्ण पदक हासिल करने वाले राज्य या केंद्रशासित प्रदेश को विजेता घोषित किया जाता है।
- भारत में इस खेल प्रतियोगिता में महाराष्ट्र और हरियाणा राज्य को छोड़कर भारत की किसी भी अन्य राज्य की टीम ने आज तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स का खिताब नहीं जीता है।

खेलो इंडिया यूथ गेम्स या राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम की पृष्ठभूमि :

- भारत की युवा जनसंख्या दुनिया में सबसे सक्रिय और ऊर्जा से भरपूर मानी जाती है।
- यहां लगभग 65% लोग 35 वर्ष से कम आयु के हैं, और 15-29 वर्ष के युवाओं का प्रतिशत 27.5% है। ऐसे में खेलों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलें शुरू की गई हैं।
- भारत सरकार ने युवाओं के खेलों में योगदान को बढ़ाने और उसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पहले से चल रही योजनाओं जैसे कि **राजीव गांधी खेल अभियान (आरजीकेए) , शहरी खेल अवसंरचना योजना (यूएसआईएस) और राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना (एनएसटीएसएस)** को एकजुट कर एक नए कार्यक्रम का गठन किया, जिसे **खेलो इंडिया : राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम** नाम दिया गया है।
- **राजीव गांधी खेल अभियान :** इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खेल अवसंरचना का निर्माण करना और खेल संस्कृति को बढ़ावा देना था।
- **शहरी अवसंरचना योजना :** इसका लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले खेल सुविधाओं का निर्माण था, ताकि युवा प्रतिभाओं को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिले।
- **राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना :** इसका मुख्य उद्देश्य देशभर में खेल के प्रति उत्साही और समर्पित युवा खिलाड़ियों की पहचान करना था।

खेलो इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य :

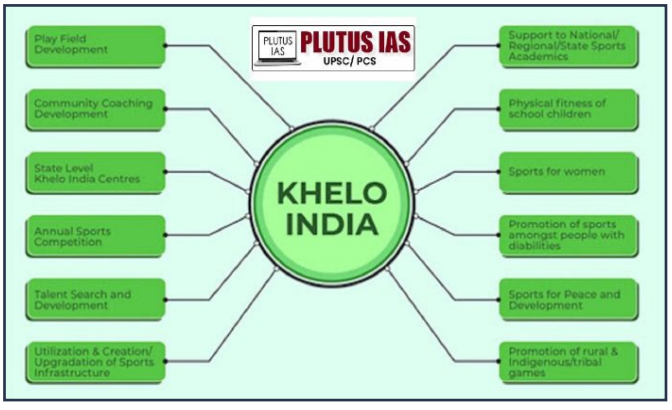

- यह योजना भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित और केंद्रीय स्तर पर कार्यान्वित एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश में खेलों को बढ़ावा देना है।
- इसके तहत हर साल 1000 युवा एथलीटों को खेल छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जो आठ वर्षों तक प्रति वर्ष पांच लाख रुपये प्राप्त करते हैं।
- यह योजना खिलाड़ियों को शिक्षा और खेल दोनों में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित करती है, और 20 विश्वविद्यालयों को खेल विशिष्टता के केंद्र के रूप में मान्यता देती है।
- इस कार्यक्रम में नवीनतम तकनीकों जैसे GIS, खेल पोर्टल, और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से खेलों का प्रसार किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त, शारीरिक फिटनेस ड्राइव और खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन से बच्चों को शारीरिक विकास में सहायता मिलेगी।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य खेल पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार, प्रतिभाओं की पहचान, कोचिंग व्यवस्था और खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।
- यह कार्यक्रम विशेष रूप से वंचित और अशांत क्षेत्रों के युवाओं को खेल गतिविधियों में शामिल कर उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए तैयार किया गया है, ताकि वे राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकें, जिससे देश की एकता और अखंडता की भावना को बढ़ावा मिले।

खेलो इंडिया कार्यक्रम का कार्यक्षेत्र :

भारत में खेलो इंडिया कार्यक्रम को 12 कार्यक्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जिसमें शामिल है –

1. शांति और विकास के लिए खेल – प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
2. ग्रामीण और स्वदेशी या जनजातीय खेलों को प्रोत्साहन देना।
3. राज्य स्तरीय खेलो इंडिया केंद्रों का निर्माण एवं विकास करना।
4. राष्ट्रीय /क्षेत्रीय /राज्य खेल शिक्षाविदों को सहायता प्रदान करना।
5. स्कूली विद्यार्थियों का शारीरिक स्वास्थ्य के फिटनेस के प्रति जागरूक करना।
6. दिव्यांगों के मध्य खेल संस्कृति को प्रोत्साहन देना।
7. महिलाओं के लिए खेल – प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
8. प्रति वर्ष वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना।
9. खेल प्रतिभाओं की खोज करना और उसका विकास करना।
10. खेलों अवसंरचना का विकास और उन्नयन करना।
11. खेल के मैदानों का विकास करना।
12. सामुदायिक अनुशिक्षण (कोचिंग) के विकास में वित्त पोषण करना।

खेलो इंडिया कार्यक्रम का परिणाम एवं प्रभाव :

- खेलो इंडिया योजना ने देश भर में प्रतिस्पर्धी मंच और बुनियादी ढांचा प्रदान कर खेल प्रतिभाओं की पहचान और उनके कौशल विकास के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित किया।
- हर साल, खेलो इंडिया यूथ गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स के माध्यम से, 17 और 21 वर्ष के युवा एथलीटों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है।
- वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया खेलो इंडिया मोबाइल ऐप अब तक 23 लाख से अधिक स्कूली बच्चों के फिटनेस मापदंडों का आकलन कर चुका है, जिससे 5 वर्ष की आयु से खेल प्रतिभाओं की पहचान की जा रही है।
- इसके अतिरिक्त, स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने विशेष योजनाएं बनाई हैं, जिसमें स्वदेशी खेलों के एथलीटों को आउट-ऑफ-पॉकेट भत्ता (ओपीए), शीर्ष केंद्रों में प्रशिक्षण सुविधाएं और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
- महिलाओं की खेलों में अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए विशिष्ट योजनाएं लागू की गई हैं।
- खेलो इंडिया यूथ गेम्स के माध्यम से दिव्यांग एथलीटों के लिए बेहतर प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और अन्य योजनाओं के माध्यम से उनका समर्थन किया जा रहा है।

निष्कर्ष / समाधान की राह :

खेलो इंडिया कार्यक्रम न केवल भारत में युवा खेल प्रतिभाओं की वर्तमान स्थिति को सुदृढ़ कर रहा है, बल्कि इसका भविष्य भी बेहद उज्ज्वल है। **इसे सफल बनाने के लिए भारत सरकार को निम्नलिखित पहलें अपनानी चाहिए-**

- **खेल अवसंरचना का उन्नयन एवं विकास करना :** सरकार को देश के सभी राज्यों के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर ग्रामीण, जनजातीय, पूर्वोत्तर राज्यों और आकांक्षी जिलों में खेल सुविधाओं का निर्माण और उन्नयन तथा विकास करना चाहिए।

- **खेलो इंडिया केंद्र एवं खेल अकादमियों की स्थापना करना :** सरकार को प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को गुणवत्तापूर्ण कोचिंग, प्रशिक्षण, उपकरण, पोषण, चिकित्सा सहायता तथा छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु देश भर में और अधिक खेलो इंडिया केंद्र एवं खेल अकादमियाँ स्थापित करनी चाहिए ।

- **फिट इंडिया मूवमेंट :** सरकार को फिट इंडिया मूवमेंट को एक जन अभियान के रूप में बढ़ावा देना चाहिए तथा फिट इंडिया मूवमेंट को व्यापक रूप से प्रचारित किया जाना चाहिए ताकि हर वर्ग में शारीरिक गतिविधियों और फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़े।

- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी :** सरकार को खेल अवसंरचना के विस्तार के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र की साझेदारी, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) और सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) जैसी योजनाओं का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए।

- **खेल प्रतियोगिताएँ एवं प्रतिभा विकास :** सरकार को युवा एथलीटों को प्रदर्शन एवं अवसर प्रदान करने हेतु स्कूल, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर जैसे विभिन्न स्तरों पर अधिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना चाहिए ।

- **खेल के माध्यम से समावेशिता को बढ़ावा देना :** सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खेल समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से लड़कियों, महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों, अल्पसंख्यकों तथा हाशिये के समूहों हेतु सस्ती एवं सुलभ हो। सरकार द्वारा इन समूहों के बीच भागीदारी एवं उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष प्रोत्साहन, आरक्षण और पुरस्कार भी प्रदान किया जाना चाहिए।

स्त्रोत – पीआईबी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. भारत में इस खेल प्रतियोगिता को दो श्रेणियों में आयोजित किया जाता है।
2. बिहार अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स दोनों की मेजबानी करेगा।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर – C

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. खेलो इंडिया कार्यक्रम के प्रमुख विशेषताओं को बताते हुए यह चर्चा कीजिए कि भारत में खेल अवसंरचना का निर्माण, उन्नयन और सभी का समावेशन सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार के कदम उठाए जा सकते हैं ? तर्कसंगत समाधान प्रस्तुत कीजिए।

(शब्द सीमा 250 अंक – 15)

जल शक्ति मंत्रालय की नई पहल : 'भू-नीर' पोर्टल से भूजल संरक्षण में सुधार

खबरों में क्यों ?

- जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में 8वें भारत जल सप्ताह-2024 के दौरान "भू-नीर" पोर्टल लॉन्च किया है , जिसका उद्देश्य भारत में भूजल विनियमन को सुधारना और बढ़ावा देना है।

- यह पोर्टल केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के सहयोग से विकसित किया गया है, जिसका लक्ष्य भूजल उपयोग में पारदर्शिता और स्थिरता लाना है।

भू-नीर पोर्टल की मुख्य विशेषताएँ :

- इस पोर्टल में भूजल अनुपालन और नीतियों के लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस उपलब्ध है, जो भूजल के विनियमन की प्रक्रिया को सरल और उसके व्यापार में सहायक के रूप में कार्य करती है।

- यह एकल ID प्रणाली पर आधारित है, जिसमें स्थायी खाता संख्या का उपयोग होता है, और उपयोगकर्ताओं के लिए इंटरफेस को सरल व सुविधाजनक बनाया गया है।

- इस पोर्टल में अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) तैयार करने के लिए QR कोड आधारित सुव्यवस्थित प्रक्रिया को शामिल किया गया है।
- भारत में भूजल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन को नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया गया था।
- भारत में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), को वर्ष 1976 में स्थापित किया गया था।
- यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अधीन एक प्रमुख संगठन है जो ई-गवर्नमेंट अनुप्रयोगों के विकास और सतत विकास के लिए डिजिटल अवसरों को बढ़ावा देता है।

भारत में भूजल संकट के प्रमुख कारण :

भारत में भूजल संकट के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं –

1. **सिंचाई के लिए अत्यधिक भूजल का उपयोग करना :** भारत में जल उपयोग का लगभग 80% हिस्सा सिंचाई से जुड़ा है, और इसका अधिकांश भूजल से आता है। खाद्य उत्पादन की बढ़ती मांग के कारण भूजल का अत्यधिक निष्कर्षण हो रहा है, जिससे स्तर गिरता जा रहा है।
2. **जलवायु परिवर्तन का होना :** वर्तमान समय में वैश्विक भू-तापन से बढ़ता तापमान और वर्षा पैटर्न में बदलाव भूजल पुनर्भरण दरों को प्रभावित कर रहे हैं। सूखा और असामान्य मानसून घटनाएं भूजल संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव डाल रही हैं।
3. **खराब जल प्रबंधन का होना :** जल का अकुशल उपयोग, रिसते पाइप और वर्षा जल संचयन की कम सुविधाएं भूजल संकट को और बढ़ा रही हैं।
4. **प्राकृतिक पुनर्भरण में कमी का होना :** वनों की कटाई और मृदा अपरदन के कारण भूजल जलभृतों का प्राकृतिक पुनर्भरण प्रभावित हो रहा है, जिससे भूजल स्तर घट रहा है।

भूजल कमी से संबंधित समस्याएँ :

1. **जल की कमी होना :** भूजल के अत्यधिक दोहन और भूजल स्तर के गिरने से घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपयोग के लिए पानी की उपलब्धता में कमी हो सकती है, जिससे भविष्य में जल संघर्ष बढ़ सकता है।
2. **बाढ़ का खतरा और भूमि अवतलन का होना :** अत्यधिक भूजल निष्कर्षण से भूमि का धंसना और बुनियादी ढांचे को नुकसान हो सकता है, जिससे बाढ़ का खतरा भी बढ़ सकता है।
3. **मीठे पानी का प्रदूषित और पर्यावरणीय क्षरण का होना :** भूजल गिरने से तटीय क्षेत्रों में खारे पानी का प्रवेश और मीठे पानी का प्रदूषण हो सकता है।
4. **जल उपचार एवं पम्पिंग की लागत बढ़ना और आर्थिक प्रभाव :** कृषि उत्पादन में गिरावट और जल आपूर्ति की लागत में वृद्धि आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है और जल उपचार एवं पम्पिंग की लागत बढ़ सकती है।
5. **डेटा की कमी के कारण जल संकट का सही आकलन करना कठिन होना :** भूजल के अत्यधिक दोहन वाले क्षेत्रों की केवल 14% ब्लॉकों को ही अधिसूचित किया गया है, जिससे संकट का सही आकलन करना कठिन हो रहा है।

भारत सरकार द्वारा भूजल संरक्षण के लिए शुरू की गई प्रमुख पहल :

भूजल संरक्षण के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं:

1. **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना :** इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में जल की अधिकतम बचत करना और सिंचाई के लिए पानी के उचित उपयोग को बढ़ावा देना है।
2. **जल शक्ति अभियान – 'कैच द रेन' अभियान :** इस अभियान के तहत वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण पर जोर दिया जाता है, ताकि भूजल स्तर को स्थिर किया जा सके।
3. **अटल भूजल योजना :** यह योजना भूजल के सतत प्रबंधन और संरक्षण के लिए स्थानीय समुदायों को जोड़कर जलभृतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करती है।
4. **जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम :** इस पहल का उद्देश्य जलभृतों के सही मानचित्रण और उनकी प्रभावी प्रबंधन रणनीतियों को लागू करना है, ताकि जल का सटीक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
5. **अमृत मिशन (AMRUT) :** शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति, सीवरेज और शहरी जल निकासी प्रणालियों के सुधार के लिए यह मिशन कार्यान्वित किया गया है, जिससे जल संकट को कम किया जा सके।

समाधान की राह :

1. **स्वच्छ वर्षा जल से भूजल पुनर्भरण और जल संरक्षण को बढ़ावा देना :** शहरी क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण बढ़ाने के लिए 'ग्रीन कॉरिडोर' और रिचार्ज ज़ोन चैनलों का निर्माण किया जा सकता है। इसके अलावा, निष्क्रिय बोरवेलों का उपयोग स्वच्छ वर्षा जल से भूजल पुनर्भरण के लिए किया जा सकता है।

2. **जल पुनर्भरण और भूजल निकासी का विनियमन की प्रक्रिया सुनिश्चित करना :** भूजल के अत्यधिक निष्कर्षण को रोकने के लिए कड़े नियम लागू किए जा सकते हैं। उद्योगों के लिए 'जल प्रभाव आकलन' और 'ब्लू सर्टिफिकेशन' अनिवार्य करना चाहिए, ताकि जल पुनर्भरण और पुनः उपयोग की प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके।

3. **वैकल्पिक जल स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना :** अपशिष्ट जल के उपचार और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने से भूजल की मांग कम हो सकती है। वैकल्पिक जल स्रोतों का उपयोग के तहत कृषि और बागवानी में पुनर्चक्रित जल के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए।

4. **जल संरक्षण से संबंधित जागरूकता अभियान चलाना और स्थिर जल प्रबंधन को लागू करना :** जल संरक्षण और भूजल की कमी को रोकने की आवश्यकता पर लोगों को जागरूक करने से जल के समर्पित उपयोग को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे स्थिर जल प्रबंधन को लागू किया जा सके।

स्रोत – पीआईबी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. ' भू-नीर पोर्टल ' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. यह पोर्टल एकल ID प्रणाली पर आधारित है, जिसमें स्थायी खाता संख्या का उपयोग होता है।
2. इस पोर्टल में अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) तैयार करने के लिए QR कोड आधारित प्रक्रिया शामिल है।
3. यह पोर्टल केवल सरकारी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है।
4. इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य भूजल के व्यापार को बढ़ावा देना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/कौन से सही हैं?

A. केवल 1 और 3

B. केवल 1 और 2

C. केवल 2 और 4

D. केवल 1 और 4

उत्तर – B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में भूजल की कमी के प्रमुख कारण क्या हैं और इसके समाधान के लिए कौन-कौन से उपाय किए जा सकते हैं? उदाहरणों के साथ चर्चा करते हुए, यह स्पष्ट कीजिए कि "भू-नीर" पोर्टल जैसे डिजिटल प्रयास भारत में भूजल संकट से निपटने में किस प्रकार सहायक हो सकते हैं?

(शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

PLUTUS IAS

PLUTUS IAS UPSC/ PCS